

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ॥—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] No. 516] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर, 11, 2013/आश्विन 19, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2013/ASVINA 19, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 4 अक्तूबर, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा. का. नि. 683(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 3 जून 2013 से लागू हुए हैं@।

2. विनियम 2 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 2 में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

(1)

"(ए) 'समूह कंपनी' का अर्थ दो अथवा अधिक उद्यमों से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से:

4383 GI/2013

- (i) किसी अन्य उद्यम में 26 प्रतिशत, अथवा अधिक के मताधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में है; अथवा
- (İİ) किसी अन्य उद्यम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों में से 50 प्रतिशत से अधिक की नियुक्ति करने की स्थित में है।"

[सं.फेमा.292/2013-आरबी] सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण :

- (i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- (İİ) प्रमुख नियमन शासकीय राजपत्र द्वारा सा. का. नि. संख्या. 406(अ) दिनांक 8 मई 2000 भाग II, खंड 3, उप खंड (İ), में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया:

1 11	
सा. का. नि. सं. १५८(अ) दिनांक ०२.०३.२००१	सा. का. नि. सं. ७१३(अ) दिनांक १४.११.२००७
सा. का. नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा. का. नि. सं. ७३७(अ) दिनांक २९.११.२००७
सा. का. नि. सं.182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा. का. नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा. का. नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा. का. नि. सं. ८९६(अ) दिनांक ३०.१२.२००८
सा. का. नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा. का. नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा. का. नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. सं. ३४१ (अ) दिनांक २१.०४.२०१०
सा. का. नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा. का. नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा. का. नि. सं. ७९५(अ) दिनांक ३०.१०.२०१२
सा. का. नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा. का. नि. सं. ७९६(अ) दिनांक ३०.१०.२०१२
सा. का. नि. सं. ८९९(अ) दिनांक २२.११.२००३	सा. का. नि. सं. ७९७(अ) दिनांक ३०.१०.२०१२
सा. का. नि. सं. १२(अ) दिनांक ०७.०१.२००४	सा. का. नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा. का. नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा. का. नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा. का. नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा. का. नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा. का. नि. सं. ७९९(अ) दिनांक ०८.१२.२००४	सा. का. नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा. का. नि. सं. २०१(अ) दिनांक ०१.०४.२००५	सा. का. नि. सं. ५३२ (अ) दिनांक ०५.०८.२०१३
सा. का. नि. सं 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. सं. ३४१(अ) दिनांक २४.०५.२०१३
सा. का. नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा. का. नि. सं 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा. का. नि. सं 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा. का. नि. सं. ३९३ (अ) दिनांक २१.०६.२०१३
सा. का. नि. सं. ७३८(अ) दिनांक २२.१२.२००५	सा. का. नि. सं. 591 (अ) दिनांक 04.09.2013
सा. का. नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006	सा. का. नि. सं. 596 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. सं. ४१३(अ) दिनांक ११.०७.२००६	सा. का. नि. सं. 597 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. सं. ७१२(अ) दिनांक १४.११.२००७	

RESERVE BANK OF INDIA (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION

Mumbai, the 4th October, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 683 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall deemed to have come into force from June 3, 2013@

2. Amendment of Regulation 2

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 2, after the clause (iv), the following shall be inserted, namely:-

"(iva) 'Group company' means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:

- (i) exercise twenty-six per cent, or more of voting rights in other enterprise; or
- (ii) appoint more than fifty per cent, of members of board of directors in the other enterprise."

[No.FEMA.292/2013-RB] C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:-

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 341(E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.821(E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No. 945(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	